वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं0....130..../न0 अ0 वि0   दिनांक....21-6-17....

गृह निर्माणार्थ अनुमति–पत्र

यह अनुमति केवल उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रक्खेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री..शिवपूजन सिंह व श्री राजेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व० सोन्हू सिंह व श्री तेज बहादुर सिंह पुत्र स्व० अवधनारायण सिंह व श्रीमती देवमूर्ती देवी पत्नी स्व० अवध नारायण सिंह..
पिता/पति का नाम श्री..........................आराजी संख्या..५५५६५७ व ५१.. मौजा..गनेशपुर..
वार्ड..दशाश्वमेध..में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन-चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर   (उपाध्यक्ष — २१/१५ गृ०६० — विकास)   21-06-2017

दिनांक........................20

जोनल अधिकारी
कृते उपाध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

21-6-17

नोट : 1– यह स्वाकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2– इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3– मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर.................... दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4– गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5– प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6– यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7– यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें:-

1:- पक्षगण को स्थल पर 67 पेड़ लगाना होगा।

2:- पक्षगण को स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।

3:- पक्षगण को स्वीकृत मानचित्र के अनुसार स्थल पर निर्माण करना होगा तथा सोलर वाटर हीटर व कूड़ा संचयन की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।

4:- विजिटर पार्किंग हेतु उपयुक्त व्यवस्था करना होगा।

5:- भू-स्वामित्व व रास्ते के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उजागर होता है तो पक्षगण का मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी पक्षगण का होगा।

6:- भवन में ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्षगण की होगी।

7:- पक्षगण को अपने शपथ-पत्र दिनांक:- 12/5/17 व दिनांक 12/6/17 का पालन करना होगा।

8:- भविष्य में यदि कोई देयता बनती है तो पक्षगण द्वारा देय होगा।

9:- निर्माण के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के भवन का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।

10:- पक्षगण को मानचित्र में दर्शाये दुकानों को फाउन्डेशन ~~बिल्डिंग~~ व बेसमेन्ट में अलग से न बनाकर पूर्व निर्धारित कालम को ही ऊपर करते हुये निर्माण करना होगा।

20/6/17
विन्यास लि

पुनश्चः-

11:- पक्षगण को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जारी डिजायन पर बेट करते हुये जो मानचित्र किया गया है उसी के अनुसार स्थल पर निर्माण कार्य करना होगा, अन्यथा अगर निर्माण कार्य करते समय या निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त किसी प्रकार की घटना घटती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षगण की होगी।